

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना- कप्तानगंज

पुलिस मुठभेड़ में सामूहिक दुष्कर्म का वांछित अभियुक्त अवैध तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार

थाना क्षेत्र कप्तानगंज निवासी एक व्यक्ति ने थाना कप्तानगंज पर शिकायत दर्ज करायी कि दिनांक 03.06.2021 को मेरी पुत्री शौच के लिए बाहर गयी थी उसी दौरान चार व्यक्तियों द्वारा मेरी बेटी को तमंचा दिखाकर जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म किये। इस सूचना पर थाना कप्तानगंज पर मु०अ०सं०- 81/2021 धारा 376D,504, 506 भादवि व 3(2)V SC / ST ACT व 5G/6 पास्को एक्ट पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित,ईनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी विषयक चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जनपद आजमगढ़ व क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर आजमगढ़ के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 08.06.2021 को मुखबीरी सूचना के आधार प्र०नि० देवानन्द थाना कप्तानगंज मयहमराहियान के दबिश हेतु मुखबिर द्वारा बताये गये व्यक्ति के पास ग्राम हेतूगंज पहुँचा जहाँ पर अभियुक्त द्वारा गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस को देखकर अपने पास लिए असलहा से पुलिस पार्टी पर लक्ष्य कर फायर कर दिया जिसमें पुलिस बल बाल बाल बच गयी तत्पश्चात अभियुक्त को चारों तरफ से घेर कर हिकमत अमली से अभियुक्त राजनाथ चौहान उर्फ रन्ना चौहान पुत्र निर्मल चौहान निवासी देवरिया थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार किया गया। मौक से अभियुक्त के पास से एक अदद तमंचा 12 बोर व एक अदद खोखा कारतूस 12 बोर बरामद हुआ। पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला ,बरामदगी एवं गिरफ्तारी के अधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 84/2021 धारा 307 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग

मु०अ०सं० 84/2021 धारा 307 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कप्तानगंज, आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त राजनाथ चौहान उर्फ रन्ना चौहान का अपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 482/08 धारा 498-ए/323 भादवि थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़।
2. मु०अ०सं० 59/12 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट
3. मु०अ०सं० 06/20 धारा 457/380/411 भादवि थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़।
4. मु०अ०सं० 39/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़।
5. मु०अ०सं० 81/2021 धारा 376 D. 504, 506 भा०द०वि० व 3(2) V SC / ST ACT व 5G/6 पास्को एक्ट थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

राजनाथ चौहान उर्फ रन्ना चौहान पुत्र निर्मल चौहान सा० देवरिया थाना कप्तानगंज आजमगढ़।

बरामदगी

एक अदद तमंचा 12 बोर व एक अदद खोखा कारतूस 12 बोर।

गिरफ्तार/बरामदगी करने वाले पुलिस टीम

प्र०नि० देवानन्द थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़

का० प्रमोद कुमार चौधरी थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़

का० विवेक कुमार यादव थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़

का० मो० जावेद थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़

म०का० पिकी पाण्डेय थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़